हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024

(1) **संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का विवरण** :– राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग का एक अधीनस्थ विभाग है। यह विभाग उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का भाग नहीं है। इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के छः विश्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा चार प्रमुख विपणन समितियों के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत तथा अन्य स्थानीय निधि संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य उत्तरांकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी है:–

कम संख्या	संस्थाओं/निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन
4	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी
5	अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी
6	हिमाचल प्रदश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर
7	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
8	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
9	विपणन समितियां
10	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
11	हिमाचल प्रदश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
12	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
13	नगर निगमें
14	नगर परिषदें/नगर पंचायतें
15	हि0 प्र0 बहुतकनीकी संस्थान एवं औ0 प्रशिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
16	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
17	हिमाचल प्रदश पर्यटन विकास बोर्ड
18	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
19	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद
20	हिमाचल प्रदश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी

21	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष
22	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष
23	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन
24	मेला एवं उत्सव
25	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद
26	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड
27	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झण्डा रोहण दिवस निधि
28	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि
29	जिला खेल ,संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि
30	ई–गर्वनेन्स
31	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला
32	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली
33	शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) निधि
34	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला
35	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें
36	हि०प्र० सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण

नोटः– हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट– (अ) में दिया गया है।

(2) अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :– यह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त)/सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण पशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग :– विशेष सचिव (वित्त), राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० के निदेशक एवं परीक्षक का कार्यभार संभालते हैं। वह विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं।

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :–

अतिरिक्त निदेशक :– वह विभाग के कार्यालय का मुखिया होने के साथ–साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी हैं।

संयुक्त निदेशक (स्थानीय निकाय):– वह तकनीकी शाखा, स्थानीय निकायों एवं अनुपालना प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का समस्त अंकेक्षण इनके पर्यवेक्षण में निष्पादित किया जाता हैं।

उप निदशक –I :– वह हिमुडा के अंकेक्षण तथा शहरी निकायों, हिमुडा, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक तथा अन्य विविध संस्थाओं इत्यादि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी हैं।

उप निदेशक –II :– वह हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों, मन्दिर न्यासों, ई–गवर्नेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, शैक्षणिक तथा अन्य विविध संस्थाओं इत्यादि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी हैं।

सहायक निदेशक (मुख्यालय) :– वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं संस्थापना व लेखा शाखा के प्रभारी हैं। वह पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए भी उतरदायी हैं।

सहायक निदेशक (स्थानीय निकाय) :– वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा के लिए उतरदायी हैं। वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य एवं अनुपालना प्रकोष्ठ से संबन्धित कार्य के लिए भी उतरदायी हैं।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) :– वह मुख्यालय में संस्थापना तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते हैं।

अनुभाग अधिकारी (तकनीकी शाखा) :– वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते हैं।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते हैं।

लिपिक :– वे प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते हैं।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :– संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समितियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा वहां कार्यरत अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण कार्य करते हैं।

वृतों में कार्यरत अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उतरांकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृतों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय समय पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण किया जाता हैं।

(3) निर्णय प्रकिया, पर्यवेक्षण तथा उतरदायित्व :–

विभाग के मुख्यालय में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक (कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक, अनुभाग अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष सम्बन्धित नस्ति में प्रस्तुत करते हैं और मामलों का निपटारा संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त)/अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर किया जाता है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण से सम्बन्धित मामलों मे प्रारम्भिक कार्यवाही करके मामलों को अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष जांच एवं निपटारे हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दलों के प्रभारियों को मामलों की प्रकृति के अनुसार अंकेक्षण कार्यो के निष्पादन हेतु मौके पर ही निर्णय लेना होता है। यद्यपि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभाग के मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हैं।

(4) कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :– अंकेक्षण स्टाफ को पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए विभाग द्वारा तय मानक जारी किए गये हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखित तय मानक निर्धारित किए गए है:–

1. अंकेक्षण कार्य करने हेतु समय आबंटन
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए जांच की प्रमात्रा।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए मापदण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण का कार्य उनके अधिनियम/नियम पुस्तकं/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों एवं सरकार/संस्थाओं द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत करता है।

(5) विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख :– विभाग अपने दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकारी नियमों, दिशानिर्देशों, विभाग के ऑडिट कोड एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

(6) विभाग के दस्तावेजों का वर्गीकरण :–

(1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित अभिलेख।

(2) विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन जिनका अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

(3) हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

(4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की मांग एवं वसूली का अभिलेख।

(5) विभाग के अन्य प्रशासनिक एवं लेखांकन अभिलेख।

(7) **किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान हो:–** विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उतरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रखता है।

(8) **बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण** :– अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, काउँसिंल समिति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गई है।

(9) **अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका:–** राज्य लेखा परीक्षा विभाग की निर्देशिका **परिशिष्ट–ब** में संलग्न है।

(10) **विभाग के प्रत्येक अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेय:–** हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नही किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदों के लैवल से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट–स** में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टीकल सहायकों को वृत्तों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ₹ 800/– प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11) **विभाग की विभिन्न एजेंन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन:–** विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता है। विभाग के नियन्त्रण / अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यशील नहीं है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

(12) **पावती में छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरण:–** इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13) **अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के निर्धारित तरीके से निष्पादन:–** अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14) **सूचना जिसका विस्तृत विवरण मौजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करके कम करना** :– वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे–2 अभिलेख को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) **सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई हो:–** सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16) राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० में अपील प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरणः–

मुख्यालय कार्यालय :–

क०सं०	अपील प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी (पी. आई.ओ.)	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं०
1	श्री आशुतोष गर्ग, निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अपील प्राधिकारी	राज्य लेखा परीक्षा विभाग	0177–2621894
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	यथोपरि	0177–2620046

राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क०सं०	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं०
1	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला	संयुक्त नियन्त्रक (ले०प०)	0177–2830892
2	निवासी अंकेक्षण योजना, डा०वाई० एस०परमार औ० एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन.	उप नियन्त्रक (ले०प०)	01792–252171
3	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ० सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	उप नियन्त्रक (ले०प०)	01894–230354
4	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले०प०)	94186–55816
5	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले०प०)	94186–55816
6	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० तकनिकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	उप नियन्त्रक (ले०प०)	94184–62347
7	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	सहायक नियन्त्रक (ले०प०)	01892–229333
8	निवासी अंकेक्षण योजना, हि०प्र० विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–2	सहायक नियन्त्रक (ले०प०)	0177–2621316

6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12.	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	0177–2841167
7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	01792–230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	01907–265592
9.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	01902–222208

<u>महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं0</u>

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0	आवास दूरभाष सं0
1	श्री आशुतोष गर्ग, निदेशक	0177–2621894	—
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046	—

(17) दूसरी अन्य सूचनाऐं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं। "शून्य"

<u>विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं</u> :–

1. अंकेक्षण की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2023–24 के दौरान विभाग द्वारा कुल 343 संस्थाओं का उतरांकेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस विभाग द्वारा 12 निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वांकेक्षण भी किया जा रहा है।

2. कर्मचारी वर्ग की स्थिति :

दिनॉक 31–03–2024 को विभाग में सृजित कुल 196 पदों के विरूद्व 107 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 89 पद रिक्त थे।

3. आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमैंट :

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पैनलमैंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोतर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. आय व्यय की स्थिति :

(क.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2023–24 में विभाग की आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :–

वर्ष	विभाग को वर्ष के प्रारम्भ मे आबंटित बजट	वास्तविक व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजस्व प्राप्ति	व्यय के विरूद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2023–24	₹ 9,86,19,000	₹ 9,62,21,978	₹ 1,66,95,691	17.35%

(ख.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2023–24 में विभाग को पैन्शनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों हेतु आवंटित बजट एवं वास्तविक व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :–

वर्ष	आबंटित बजट	अतिरिक्तता	कुल आबंटित बजट	वास्तविक व्यय
2023–24	₹ 1,74,000	₹ 13,50,000	₹ 15,24,000	₹ 15,23,450

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार

1. शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

1. **सहायता अनुदान का उपयोग न करना :** 17 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, सरकाघाट, चम्बा, रामपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नेगरोटा बगवां, नैणा देवी जी, नुरपुर, ज्वालामुखी जी, देहरा, हमीरपुर, सन्तोषगढ़, घमारवीं व नालागढ़) 18 नगर पंचायतों (रिवालसर, भोटा, नारकण्डा, करसोग, आनी, चुवाड़ी, कण्डाघाट, निरमण्ड,, दौलतपुर, शाहपुर बन्जार, तलाई, कोटखाई, गगरेट, जुब्बल, चिड़गांव, अर्की व सुन्नी) द्वारा ₹12673.02 लाख की राशि सहायता अनुदान के रूप में उपयोग हेतु शेष ।
2. **गृहकर/चूल्हा कर की वसूली न करना** नगर निगम पालमपुर तथा 18 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, सरकाघाट, चम्बा, रामपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नेगरोटा बगवां, नाहन, नैणा देवी जी, नुरपुर, ज्वालामुखी जी, देहरा, हमीरपुर, सन्तोषगढ़, घमारवीं व नालागढ़) 11 नगर पंचायतों (भोटा, नारकण्डा, चुवाड़ी, रिवालसर, दौलतपुर, बन्जार, तलाई, गगरेट, जुब्बल, अर्की व सुन्नी) द्वारा ₹2423.55 लाख की राशि गृहकर/चूल्हा कर के रूप में वसूली हेतु शेष होना।
3. **दुकानों/स्टालों/प्लाट/रैहन बसेरा तथा सिनेमा घर के कर की वसूली न करना** 18 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, सरकाघाट, चम्बा, रामपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नेगरोटा बगवां, नाहन, नैणा देवी जी, नुरपुर, ज्वालामुखी जी, देहरा, हमीरपुर, सन्तोषगढ़, घमारवीं व नालागढ़) 15 नगर

पंचायतों (रिवालसर, भोटा, नारकण्डा, करसोग, आनी, चुवाड़ी, कण्डाघाट, दौलतपुर, बन्जार, तलाई, कोटखाई, गगरेट, जुब्बल, अर्की व सुन्नी) द्वारा ₹1511.55 लाख की राशि दुकानों/स्टालों/प्लाट/रैहन बसेरा तथा सिनेमा घर के कर की वसूली हेतु शेष।

4. **स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना** 03 नगर परिषदों (डलहौजी, नेगरोटा बगवां, व सन्तोषगढ़) 02 नगर पंचायतों (नारकण्डा व कण्डाघाट) द्वारा संस्थापना पर ₹858.96 लाख की राशि का स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना।
5. **वेतन व भत्तो का अत्यधिक/अनियमित भुगतान** नगर निगम पालमपुर तथा 10 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, चम्बा, रामपुर, बिलासपुर, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नैणा देवी जी, सन्तोषगढ़, घमारवीं व नालागढ़) 11 नगर पंचायतों (नारकण्डा, चुवाड़ी, कण्डाघाट, निरमण्ड, दौलतपुर, तलाई, कोटखाई, जुब्बल, चिड़गांव, अर्की व सुन्नी) द्वारा वेतन व भत्तो ₹356.28 लाख का अत्यधिक/अनियमित भुगतान करना।
6. **मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण फीस की वसूली शेष** नगर निगम पालमपुर तथा 15 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, सरकाघाट, चम्बा, रामपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नेगरोटा बगवां, नैणा देवी जी, नुरपुर, हमीरपुर, सन्तोषगढ़, घमारवीं व नालागढ़) 08 नगर पंचायतों (रिवालसर, चुवाड़ी, दौलतपुर, तलाई, गगरेट, जुब्बल, अर्की व सुन्नी) द्वारा ₹99.75 लाख की वसूली हेतु शेष होना।
7. **अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना** 08 नगर परिषदों (चम्बा, रामपुर, कांगड़ा, डलहौजी, नेगरोटा बगवां, ज्वालामुखी जी, देहरा व सन्तोषगढ़) 13 नगर पंचायतों (भोटा, नारकण्डा, चुवाड़ी, कण्डाघाट, दौलतपुर, शाहपुर, तलाई, कोटखाई, गगरेट, जुब्बल, चिड़गांव, अर्की व सुन्नी) द्वारा ₹7676.04 लाख के अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
8. **डोर टू डोर कूडा शुल्क की वसूली ना करना** नगर निगम पालमपुर तथा 14 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, चम्बा, रामपुर, कांगड़ा, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नेगरोटा बगवां, नाहन, नुरपुर, ज्वालामुखी जी, देहरा, हमीरपुर, सन्तोषगढ़ व घमारवीं) 11 नगर पंचायतों (रिवालसर, कण्डाघाट, दौलतपुर, शाहपुर, तलाई, कोटखाई, गगरेट, जुब्बल, चिड़गांव, अर्की व सुन्नी) द्वारा ₹1043.23 लाख के डोर टू डोर कूडा शुल्क की वसूली ना करना।
9. **संविदाकार को अत्याधिक/अनियमित भुगतान** 07 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, रामपुर, जोगिन्द्रनगर, डलहौजी, नाहन, ज्वालामुखी जी व देहरा) 06 नगर पंचायतों (रिवालसर, भोटा, करसोग, निरमण्ड, गगरेट व जुब्बल) द्वारा ₹189.49 लाख का संविदाकार को अत्यधिक/अनियमित भुगतान।
10. **औपचारिकता पूर्ण बिना ठेकेदार को कार्य आबंटन** नगर निगम पालमपुर, 08 नगर परिषदों (सुजानपुर टिहरा, रामपुर, जोगिन्द्रनगर, नेगरोटा बगवां, नाहन, ज्वालामुखी जी, देहरा, व सन्तोषगढ़) 06 नगर पंचायतों

(नारकण्डा, करसोग, निरमण्ड, गगरेट, चिड़गांव व सुन्नी) द्वारा ₹293.97 लाख का औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ठेकेदारों को कार्य आबंटन करना।

2. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA)

1. 05 हिमुडा मण्डलों (शिमला, नाहन, मण्डी, परवाणू, व धर्मशाल) तथा 02 विद्युत मण्डल (शिमला व धर्मशाला) द्वारा ₹170.56 लाख स्टाफ को दिए गए विविध अग्रिमों का समायोजन न करना।
2. 05 हिमुडा मण्डलों (शिमला, नाहन, मण्डी, परवाणू, व धर्मशाला) तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा ₹41.92 लाख का संविदाकार को अत्याधिक/अनियमित भुगतान करना।
3. 02 हिमुडा मण्डलों (नाहन व परवाणू) तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा ₹180.71 लाख का संविदाकार को दिये गये रक्षित अग्रिमों की वसूली न करना।
4. हिमुडा मुख्यालय तथा 04 हिमुडा मण्डलों (शिमला, परवाणू, मण्डी, व धर्मशाल) द्वारा ₹2781.05 लाख का प्लाट/फलैट धारकों से अनुरक्षण निधि की वसूली न करना।
5. हिमुडा मुख्यालय द्वारा ₹10643.91 लाख के विभिन्न जमा कार्यों पर निधियों का उपयोग न करना।
6. 02 हिमुडा मण्डल शिमला व परवाणू द्वारा ₹647.61 लाख के वेतन व भत्तो का अत्यधिक/अनियमित भुगतान।
7. हिमुडा मुख्यालय द्वारा ₹6092.84 लाख का विभिन्न विभागों से निक्षेप निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना।

3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, अवधि 2018 – 2019

1. ₹2948.22 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना।
2. ₹154.84 लाख का हि० प्र० विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सचिवालय वेतन के रूप में अनियमित भुगतान।
3. प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बसों के किराए को सरकारी दरों पर निर्धारित न करने कारण ₹1552.20 लाख की वित्तीय हानि बारे।
4. प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के फलस्वरूप आय एवं व्यय मे ₹ 2957. 83 लाख का भारी अन्तर होने बारे।

4. <u>डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यौनिकी एंव वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन</u>

1. विभिन्न फण्डिंग एजेन्सियों के प्राप्त सहायता अनुदान से ₹2802.20 लाख का अधिक भुगतान करना।
2. अवधि 31.03.2019 तक ₹2767.14 लाख के बकाया अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष होना।

3. विभ्भन विभागों से देय राशि ₹185.35 लाख का विश्वविद्यालय नियंत्रक कार्यालय के साथ समायोजन न करना।
4. बैक में जमा/उपलब्ध राशि से अधिक ₹9.74 लाख के चैक भुगतान हेतु जारी करने बारे।

5. चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालुमपुर

1. दिनांक 31.03.2020 तक ₹4784.49 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने बारे।
2. अवधि 2019–2020 के दौरान विभिन्न फण्डिंग ऐजेन्सियों से प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्व किए गए ₹1304.50 लाख के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति न करने बारे।
3. अवधि 2019–2020 के वार्षिक लेखों में ₹203.53 लाख के हस्तान्तरित निधियों का लेखांकन न करने बारे।
4. अवधि 2019–2020 की घरेलू आय से संबन्धित ₹3867.93 लाख का रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना।
5. दिनांक 31.03.2021 तक ₹5432.91 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना।
6. अवधि 2020–2021 के दौरान विभिन्न फण्डिंग ऐजेन्सियों से प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्व किए गए ₹1496.46 लाख के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति न करने बारे।
7. अवधि 2020–2021 के वार्षिक लेखों में ₹1016.47 लाख के हस्तान्तरित निधियों का लेखांकन न करने बारे।
8. अवधि 2020–2021 की घरेलू आय से संबन्धित ₹3203.17 लाख का रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना।

6. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

1. अस्थाई अग्रिमों ₹3529.27 लाख का समायोजन न करना ।
2. उच्चतम ब्याज दर पर ₹469.02 लाख निवेशित न करने के कारण बोर्ड को हुई वित्तीय हानि।
3. सामान्य भविष्य निधि बैंक खातों में जमा अन्तशेष खाताधारकों के खातों में जमा अन्तशेष की तुलना ₹364.84 लाख कम पाया जाना ।
4. निक्षेप कार्य के रूप में पूर्ण किए गए कार्यों से सम्बन्धितृ ₹208.65 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना ।
5. हिमुडा को प्रदान अग्रिम ₹15.00 लाख का समायोजन न करना।
6. विभिन्न पुस्तक केन्द्रों द्वारा बेची गई पुस्तकों ₹98.66 लाख की राशि बैंक में जमा न करवाने के कारण राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन।
7. वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना सामान्य निधि से पैंशन/ग्रेच्यूटी निधि को ₹1216.48 लाख की राशि हस्तान्तरित करना ।

7. <u>हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर</u>

1. दिनांक 31.03.2022 तक ₹16.50 लाख का अनुदान उपयोग हेतु शेष।
2. दिनांक 31.03.2022 तक अस्थाई अग्रिमों ₹29.39 लाख का समायोजन हेतु शेष।
3. दिनांक 31.03.2022 तक ₹2.96 लाख के शैक्षणिक शुल्क की कम वसूली करना।

8. <u>कृषि उपज विपणन समितियां</u>

1. **<u>पंजिकृत व्यापारियों से दुकानो के किराये की वसूली न करना</u>** 05 विपणन समितियों (शिमला व किन्नौर, मण्डी, कुल्लू व लाहौल स्पिति, कांगडा एंव हमीरपुर) द्वारा ₹30.99 लाख की पंजीकृत व्यापारियों से दुकानो किराये की वसूली न करना।
2. **<u>अस्थाई अग्रिमो का समायोजन न करना</u>** 04 विपणन समितियों (सोलन, मण्डी, शिमला व किन्नौर एंव कुल्लू लाहौल स्पिति) द्वारा ₹24.28 लाख के अस्थाई अग्रिमो का समायोजन न करना।
3. **<u>उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत ना करना</u>** 05 विपणन समितियां (शिमला व किन्नौर, मण्डी, कुल्लू लाहौल स्पिति, कांगडा एंव हमीरपुर) द्वारा ₹329.50 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र आडिट का प्रस्तुत नही किये।
4. **<u>दुकानो के किराये की वसूली न करना</u>** 06 विपणन समितियां (सोलन, शिमला व किन्नौर, मण्डी, कुल्लू लाहौल स्पिति कांगडा एंव हमीरपुर) द्वारा ₹335.61 लाख का दुकानो के किराये की वसूली न करना।

9. पंचायत समिति नयना देवी जी, जिला बिलासपुर

1. सहायता अनुदान ₹3495.95 लाख का उपयोग न करना।
2. अनुदानों ₹91.15 लाख से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
3. अस्थाई अग्रिमो ₹5.23 लाख का समायोजन न करना।
4. वेतन व भत्तो पर ₹1.64 लाख का अत्यधिक/अनियमित भुगतान।

परिशिष्ट–"अ"

वैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाएं
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला अधिनियम, 1970 की धारा 29 (1) के अधीन
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(3) सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(3) सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, जिला मण्डी	अधिसूचना संख्या 1–77/70–फिन (एल0ए0) खण्ड–7 पार्ट–8121–8129 दिनाँक 19.12.2019
5	अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	अधिसूचना संख्या 1–77/70–फिन (एल0ए0) खण्ड–7 पार्ट–8121–8129 दिनाँक 19.12.2019
6	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर	अधिसूचना संख्या 1–77/70–फिन (एल0ए0) खण्ड–7 पार्ट–8121–8129 दिनाँक 19.12.2019
7	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968
8	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) के अधीन

9	विपणन समितियां	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) के प्रावधानों के अधीन।
10	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता, 2012 के नियम 4.9 (बी) के अधीन
11	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23(2)सी (ii) अधिसूचना संख्या भाषा–ए(डी)–3/85–2 दिनांक 17–1–1989 एफ/बी(पी–173)
12	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004(2004 के अधिनियम संख्या –9) की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच–एसजी–4(डी)1/92–II दिनांक 13–9–2004 के अधीन
13	नगर निगम शिमला/धर्मशाला	नगर निगम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं0 19 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
14	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर निगम अधिनियम, 1994 की उप धारा 1 व धारा 255 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
15	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान की विद्यार्थी निधियां	अधिसूचना सं0 एसटीवी(आईटी)एफ(5)–5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन
16	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अधीन

17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2002 की धारा 14(2) के अर्न्तगत ।
18	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5(3) संख्या फिश–एफ–(5)–1/82–खण्ड–1 दिनांक 29–3–86 द्वारा अधिसूचित
19	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 होम्योपैथी प्रैक्टीशनर नियम, 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
20	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए (9) –2/84, दिनांक 10–12–1984 के अधीन
21	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निर्देश संख्या 8 के अधीन
22	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग–ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या –जीएडी–ई(सी)8/99 दिनांक 2–11–99
23	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन	पत्र संख्याः पीईआर(एसए–आई)एफ(6)–1/84, दिनांक 18–3–88, 8–5–1998, 16–10–99
24	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा–सी(13)–2/92–लूज,दिनांक 11–5–99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी
25	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या –ए एच वाई –ए(5)5/86–दिनांक 3–1–94
26	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड	पत्र संख्याः एच एवं एफ.डब्लयू(सी)(1)–21/76 दिनांक 22–6–1977
27	हि0प्र0 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि, झण्डा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना संख्या 11–58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19–10–1977 के नियम 9 के अधीन

28	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर. आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निर्देश संख्या 9 के अधीन
29	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि, जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्याः फिन सी 15–25/77 (डब्लयू एण्ड एम) दिनांक 29–12–1978
30	ई–गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ(1)2/2000–ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
31	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4–31/83–वाईएसएस–4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
32	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्याःजीएडी–3–सी(4)13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
33	शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) निधि	शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) अधिनियम, 2007 की धारा 16 (7) के अन्तर्गत
34	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला	हिमकॉप की गवर्निंग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के कम में निदेशक, पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03. 2011 के अन्तर्गत
35	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें	पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(4) में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.–एच.सी.–(5)सी.(15)एल.ए.डी. /2006–12669, दिनांक 07–04–2016 के अन्तर्गत
36	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण	...

परिशिष्ट "ब"

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :–

कम सं0	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	श्री आशुतोष गर्ग, निदेशक	0177–2621894
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046
3	श्री अनिल शर्मा, संयुक्त निदेशक	0177–2620881
4	श्री रविन्द्र सिंह, उप निदेशक	0177–2620881
5	श्री अनिल कुमार मैहरा, उप निदेशक	0177–2626670
6	श्री श्रीराम सुनील, सहायक निदेशक	0177–2620881
7.	श्री मनजीत भाटिया, सहायक निदेशक	0177–2620046
8.	श्री कृष्ण लाल नेगी, सहायक निदेशक	0177–2626670
9.	श्री धीरज कुमार, अनुभाग अधिकारी	0177–2620046

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :–

कम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं0
1	श्रीमती निर्मला वर्मा, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला।	0177–2830892
2	श्री मुकेश कुमार स्नेही, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।	01892–229333 एक्स. 138
3	श्री ललित कुमार अग्रवाल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0 वाई0 एस0 परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन।	01792–252171
4	श्री संदीप कमल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी।	94186–55816
5	श्री संदीप कमल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी।	94186–55816

6	श्री दीवान चन्द, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर।	01894–230354
7	श्री पुनीश सागर, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर।	94184–62347
8	श्री चेत राम ठाकुर, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–2।	0177–2621316
9	श्रीमती पूजा शर्मा, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12।	0177–2841167
10	श्री राकेश चौहान, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, सोलन।	01792–230459
11	श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, मण्डी।	01907–265592
12	श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, कुल्लू।	01902–222208

परिशिष्ट "स"

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला –171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	पे लैवल
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	23
2.	संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक	5	21
3.	उप निदेशक/उप नियंत्रक	8	17
4.	सहायक निदेशक /सहायक नियंत्रक	21	16
5.	अनुभाग अधिकारी	38	13
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	105	11
7.	लिपिक	5	3
8.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0 प्रौ0)	2	4
9.	चालक	2	5
10	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	2
11.	दफतरी	1	1
12	चपरासी	6	1
13	सफाई कर्मचारी	1	अंशकालीन